**दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली**

ले.पे.अ. 194/2024 एवं सि.वि.आ. 13385/2024

एस. रामचंद्रुडु .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री तमीम कादरी, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जतिन सिंह, श्री केशव सहगल, श्री शिवम गौर, श्री क्षितिज जोशी और श्री आर्यन, प्रत्यर्थी-1 हेतु अधिवक्तागण।

निर्णय की तिथि: 5 मार्च, 2024

**कोरम:**

**माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश_**

**माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा**

**<u>निर्णय</u>**

**<u>कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह</u> (मौखिक)**

**<u>सि.वि.आ. 13386/2024 (छूट हेतु)</u>**

सभी उचित अपवादों के अधीन, अनुमति दी गई।

तदनुसार, वर्तमान आवेदन का निपटारा किया जाता है।

**<u>ले.पे.अ. 194/2024</u>**

1. लाहौर के तत्कालीन उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड X के तहत वर्तमान अपील, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय तक बढ़ा दिया गया है, रि.या. (सि) सं. 1347/2024 में पारित 28 फरवरी, 2024 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी

द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें प्रत्यर्थी, आईआरसीटीसी द्वारा जारी 01 जनवरी, 2024 के संचार पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें अपीलार्थी के लाइसेंस की अवधि 28 फरवरी, 2024 से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था।

***अपीलार्थी के तर्क***

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी अपने लाइसेंस की अवधि के नवीकरण का हकदार है, जो प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा जारी खानपान नीति, 2010 के अनुसार 28 फरवरी, 2024 को समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी दक्षिण मध्य रेलवे के डोन रेलवे स्टेशन पर लगभग 1500 वर्ग फुट के क्षेत्र में एक फूड प्लाजा संचालित करता है। वह निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि अपीलार्थी इकाई एक प्रमुख इकाई है न कि छोटी इकाई, जैसा कि खानपान नीति, 2010 में विचार किया गया है।

2.1 उन्होंने कहा कि नवीनीकरण का अधिकार खानपान नीति, 2010 के खंड 17 के तहत ***वरिष्ठ डिवीजन वाणिज्यिक प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे बनाम एससीआर कैटरर्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट जूस स्टॉल्स वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात के अनुसार मांगा गया है। उन्होंने कहा कि उक्त निर्णय का अनुपात छोटी और बड़ी दोनों इकाइयों पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि इसका अनुमान सिविल अपील सं. 3196/2016 में पारित दिनांक 29 मार्च, 2016 के बाद के आदेश और प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दायर समीक्षा याचिका (सिविल) सं. 3603-04/2016 को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17 नवंबर, 2016 के आदेश से लगाया जा सकता है।

2.2 उन्होंने कहा कि 29 जनवरी, 2016 के निर्णय, 29 मार्च, 2016 के आदेश और 17 नवंबर, 2016 के आदेश को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि खानपान नीति, 2010 के तहत सभी इकाइयों [बड़ी या छोटी] के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त निर्णय को अपीलार्थी पर लागू न करके और रिट याचिका के निपटारे तक अपीलार्थी को संरक्षण न देकर गलती की है।

2.3 उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी सं. 1 का यह तर्क कि 'प्रमुख इकाइयां' 29 जनवरी, 2016 के निर्णय के अंतर्गत नहीं आती हैं, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा समीक्षा याचिका में उठाया गया एक आधार था, जिसे 17 नवंबर, 2016 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

2.4 उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 अक्टूबर, 2018 को पारित अनुवर्ती आदेश पर भी भरोसा किया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि एसोसिएशन का प्रत्येक सदस्य ***दक्षिण मध्य रेलवे (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उन लाइसेंसों की समाप्ति की तिथि पर उनके द्वारा धारित लाइसेंस के नवीनीकरण का हकदार होगा।

2.5 उन्होंने कहा कि अलग से, विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे कि ले.पे.अ. सं. 364/2019 में पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने 30 जुलाई, 2019 के निर्णय के माध्यम से ***दक्षिण मध्य रेलवे (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए 'प्रमुख इकाइयों' को नवीकरण का लाभ दिया।

2.6 उन्होंने उचित रूप से कहा कि उक्त निर्णय के संचालन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वि.अनु.या. (सि) सं. 28257/2019 में पारित 10 जनवरी, 2020 के आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई है।

2.7 अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान उचित रूप से स्वीकार किया कि वह अपनी दलील पर जोर नहीं दे रहे हैं कि अपीलार्थी 'स्थायी' रूप से नवीकरण का हकदार है।

***विश्लेषण और निष्कर्ष***

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

4. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी को प्रारंभ में प्रत्यर्थी, आईआरसीटीसी द्वारा 22 मई, 2008 को डोन रेलवे स्टेशन, दक्षिण मध्य रेलवे ('स्टेशन') पर फूड प्लाजा स्थापित करने के लिए ₹ 2,65,000/- प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क के रूप में आवंटन पत्र प्रदान किया गया था। अपीलार्थी को निर्माण कार्य बढ़ाने तथा अपने स्वयं के व्यय पर फूड प्लाजा बनाने के लिए भूमि का एक खाली टुकड़ा सौंप दिया गया था। इसके पश्चात, 04 दिसंबर, 2010 को, निर्माण पूरा होने के पश्चात, अपीलार्थी ने स्टेशन पर फूड प्लाजा स्थापित करने तथा उसका संचालन करने के लिए प्रत्यर्थी, आईआरसीटीसी के साथ लाइसेंस का एक समझौता किया। समझौते में यह दर्ज किया गया है कि यह कारोबार शुरू होने की तारीख यानी 04 जून, 2010 से लागू होगा और समय से पहले समाप्ति के प्रावधान के अधीन संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन तीन साल के एक विस्तार के साथ नौ साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। समझौते में यह निर्धारित किया गया है कि कुल कार्यकाल किसी भी मामले में बारह साल से अधिक नहीं होगा। समझौते का प्रासंगिक विवरण निम्नानुसार है:

> *"यह समझौता कारोबार शुरू होने की तिथि अर्थात* ***4 जून 2010*** *से लागू होगा और इसमें पहले समाप्ति के प्रावधान के अधीन होगा, जो 09 (नौ) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा और 9 (नौ) वर्षों के बाद 03 (तीन) वर्षों का* ***एक विस्तार***

*दिया जाएगा, जो संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा,* ***किसी भी मामले में कुल कार्यकाल 12 (बारह) वर्षों से अधिक नहीं होगा"***

*(जोर देकर आपूर्ति की गई)*

5. इसके बाद प्रत्यर्थी, आईआरसीटीसी ने दिनांक 09 जुलाई, 2019 के पत्र के माध्यम से अपीलार्थी के फूड प्लाजा के लाइसेंस को 04 जून, 2019 से 03 जून, 2022 तक तीन साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया। यह निर्देश दिया गया कि विस्तारित अवधि के लिए न्यूनतम गारंटीकृत लाइसेंस शुल्क 3,97,463/- रुपए प्रति वर्ष या यूनिट के 12% बिक्री टर्नओवर, जो भी अधिक हो, लिया जाएगा।

6. तत्पश्चात, कोविड-19 महामारी को देखते हुए, प्रत्यर्थी, आईआरसीटीसी ने दिनांक 01 अगस्त, 2022 के पत्र के माध्यम से लाइसेंस को 636 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया और तदनुसार, लाइसेंस शुल्क में छूट सहित दिनांक 01 अगस्त, 2022 के पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों पर लाइसेंस को 28 फरवरी, 2024 तक बढ़ा दिया गया।

7. अपीलार्थी ने 30 नवंबर, 2023 और 23 दिसंबर, 2023 को प्रत्यर्थी, आईआरसीटीसी को ***दक्षिण मध्य रेलवे (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात के अनुसार लाइसेंस की अवधि बढ़ाने का प्रतिनिधित्व करते हुए अभ्यावेदन दायर किया। हालांकि, प्रत्यर्थी, आईआरसीटीसी ने 01 जनवरी, 2024 के पत्र के माध्यम से निविदा दस्तावेज के पैरा 3.1 पर भरोसा करके अपीलार्थी के उपरोक्त अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है। दिनांक 01 जनवरी, 2024 का संचार निम्नानुसार है:

*"उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, निविदा दस्तावेज के <u>लाइसेंस की अवधि के अंतर्गत खंड सं.: 3.1- लाइसेंस की कुल अवधि के</u>*

*<u>अनुसार,</u> डोन रेलवे स्टेशन पर फूड प्लाजा के लिए <u>लाइसेंस की अवधि</u> नौ (9) वर्ष की अवधि के लिए है, जिसमें अगले तीन (3) वर्षों के लिए नवीनीकरण का प्रावधान है। किसी भी मामले में लाइसेंस की कुल अवधि 12 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आईआरसीटीसी लाइसेंस का नवीनीकरण न करने के लिए कोई भी कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। उपरोक्त खंड और समय-समय पर सीओ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, डोन रेलवे स्टेशन पर फूड प्लाजा की अवधि एफएमसी सहित 28.02.2024 तक वैध है।"*

(जोर दिया गया)

8. अपीलार्थी ने कार्यकाल बढ़ाने से इनकार करने से व्यथित होकर 01 जनवरी, 2024 के संचार को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की और प्रत्यर्थी, आईआरसीटीसी को अपीलार्थी को फूड प्लाजा का संचालन जारी रखने की अनुमति देने के लिए एक परमादेश मांगा। अपीलार्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष तर्क दिया कि ***दक्षिण मध्य रेलवे (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और विशेष रूप से पैरा 33 और 34 के अनुपात को देखते हुए; उसे खानपान नीति, 2010 के पैरा 17 के अनुसार लाइसेंस के विस्तार की मांग करने का अधिकार है।

9. प्रत्यर्थी, आईआरसीटीसी ने रिट याचिका पर दायर अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि सबसे पहले, न तो खानपान नीति, 2010 और न ही खानपान नीति, 2017 अपीलार्थी के लाइसेंस को नियंत्रित करती है क्योंकि विषयगत लाइसेंस आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान किया गया था और कभी भी क्षेत्रीय रेलवे को हस्तांतरित नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी का तर्क है कि खानपान नीति केवल क्षेत्रीय रेलवे के लाइसेंसधारकों पर लागू होती है। यह कहा गया है कि विचाराधीन

लाइसेंस प्रत्यर्थी, आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान किया गया है और इसलिए, न तो निर्णय और न ही नीति लागू होती है।

9.1 वैकल्पिक रूप से यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि अपीलार्थी खानपान नीति, 2010 के अंतर्गत नहीं आता है, तथापि, खंड 16.1.4 के अंतर्गत फूड प्लाजा के नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

9.2 यह कहा गया है कि अपीलार्थी पैरा 16.2 तथा उसके उप-खंडों पर भरोसा करने का हकदार नहीं है, जो ***दक्षिण मध्य रेलवे (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विषय था, क्योंकि उक्त पैरा केवल 'विशेष लघु इकाइयों' पर लागू होता है।

10. हम अपीलार्थी की दलीलों पर इस धारणा के आधार पर विचार करेंगे कि उसका लाइसेंस कैटरिंग पॉलिसी, 2010 के अंतर्गत आता है। यहाँ अपीलार्थी निश्चित रूप से एक 'प्रमुख इकाई' (एक फूड प्लाजा होने के नाते) है और इसलिए, उसका कार्यकाल पैरा 16.1.4 के उप-खंड द्वारा शासित होगा। नीति में, 'विशेष लघु इकाई' ('एसएमयू') का कार्यकाल पैरा 16.2 के उप-खंडों द्वारा शासित है और 'सामान्य लघु इकाई' ('जीएमयू') का कार्यकाल पैरा 16.1.3 द्वारा शासित है। नवीनीकरण की मांग के लिए अपीलार्थी ने पॉलिसी 2010 के पैरा 17 पर भरोसा किया है। प्रासंगिक पैरा 16.1.3, 16.1.4, 16.2.1, 16.2.2 और 17 निम्नानुसार है:

> ***"16 <u>कार्यकाल</u>***
>
> *16.1 प्रमुख इकाइयों और सामान्य लघु इकाइयों का कार्यकाल।*
>
> *16.1.1 फूड कोर्ट, फास्ट फूड यूनिट (**फूड प्लाजा**, बेस किचन और एवीएम को छोड़कर) सहित सभी प्रमुख इकाइयों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। **इनका नवीनीकरण नहीं होगा।***

*16.1.2 ए.वी.एम. का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।* ***नीति के अनुसार इनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा क्योंकि ये प्रमुख इकाइयां हैं।***

*.....*

*16.1.3 ए, बी और सी श्रेणी के स्टेशनों पर* ***सभी सामान्य लघु इकाइयों का आवंटन*** *5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसमें संतोषजनक प्रदर्शन और सभी बकाया राशि और बकाया राशि के भुगतान तथा यदि कोई हो तो न्यायालय के मामलों को वापस लेने पर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद* ***नवीनीकरण*** *का प्रावधान होगा। डी, ई और एफ श्रेणी के स्टेशनों पर* ***सभी सामान्य लघु इकाइयों का आवंटन*** *5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसमें संतोषजनक प्रदर्शन और सभी बकाया राशि और बकाया राशि के भुगतान तथा यदि कोई हो तो न्यायालय के मामलों को वापस लेने पर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अतिरिक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए* ***नवीनीकरण का प्रावधान होगा।***

*16.1.4* ***फूड प्लाजा का कार्यकाल 9 वर्ष का होगा, जिसमें संतोषजनक प्रदर्शन*** *और भुगतान तथा सभी बकाया राशि और बकाया राशि के भुगतान तथा यदि कोई हो तो न्यायालय के मामलों को वापस लेने पर* ***3 वर्ष का विस्तार*** *होगा।*

*16.2.1 ए, बी और सी श्रेणी के स्टेशनों पर* ***विशेष लघु इकाइयां*** *5 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएंगी, जिसमें संतोषजनक प्रदर्शन और सभी बकाया राशि और बकाया राशि के भुगतान तथा यदि कोई हो तो न्यायालय के मामलों को वापस लेने पर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद* ***नवीनीकरण*** *का प्रावधान होगा।*

*16.2.2 डी, ई, एफ श्रेणी के स्टेशनों पर* ***विशेष लघु इकाइयों*** *को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसमें*

*संतोषजनक प्रदर्शन और सभी बकाया राशि और बकाया का भुगतान करने तथा न्यायालयीन मामलों, यदि कोई हो, को वापस लेने पर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए* ***<u>नवीनीकरण का प्रावधान</u>*** *होगा। हालांकि, नवीनीकरण के समय मौजूदा लाइसेंस शुल्क में न्यूनतम 10% की वृद्धि सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।*

*..*

*17.* ***<u>नवीनीकरण</u>***

*<u>नवीनीकरण अधिकार का मामला नहीं होगा।</u> लाइसेंसधारी को अनुबंध की समाप्ति से कम से कम 6 (छह) महीने पहले* ***नवीनीकरण*** *के लिए आवेदन* ***करना होगा****। नवीनीकरण निम्नलिखित पर आधारित होगा:-*

*17.1 संविदा की अवधि के दौरान* ***लाइसेंसधारक का संतोषजनक प्रदर्शन****। 5 से अधिक बार जुर्माना/चेतावनी लगाए जाने पर नवीनीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।*

*17.2 सभी बकाया राशि/बकाया का भुगतान-संबंधित प्राधिकारी से बकाया न होने का प्रमाण पत्र, नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।*

*17.3* ***<u>आवेदक</u>*** *को पैरा 14.2.1.1, 14.2.1.2 और 14.2.1.3 में उल्लिखित विवरणों के संबंध में* ***<u>नवीनीकरण आवेदन सहित नए सिरे से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे</u>*** *और* ***जीएमयू*** *के मामले में मानक बोली दस्तावेजों में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ नए सिरे से प्रस्तुत करने होंगे।*

*17.4 खानपान प्रदर्शन पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) को इस नीति के अनुसार संशोधित किया जाएगा। एसीआर पर विस्तृत निर्देश रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे। नवीनीकरण*

*चाहने वाले लाइसेंसधारकों के लिए रेलवे द्वारा बनाए गए एसीआर की जांच नवीनीकरण प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। कार्यकाल की अवधि के लिए एसीआर के आधार पर लाइसेंसधारक को अंक आवंटित किए जाएंगे। <u>नवीनीकरण प्रदान करने के लिए एसीआर की ग्रेडिंग के आधार पर न्यूनतम कट ऑफ मानदंड को क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए।</u>*

*17.5 लाइसेंस शुल्क को प्रत्येक नवीनीकरण के समय संशोधित और पुनर्मूल्यांकित किया जाएगा, जो मौजूदा लाइसेंस शुल्क में न्यूनतम 10% की वृद्धि के अधीन होगा।*

(जोर दिया गया)

10.1 महत्वपूर्ण बात यह है कि पैरा 16.1.4 में 'प्रमुख इकाइयों' पर लागू 'नवीनीकरण' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि पैरा 16.1.3, 16.2.1 और 16.2.2 में 'सामान्य लघु इकाइयों' (जीएमयू) और 'विशेष लघु इकाइयों' (एसएमयू) के लिए 'नवीनीकरण' का विकल्प स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इसके बजाय, नीति के पैरा 16.1.4 में 'प्रमुख इकाइयों' के कार्यकाल के संबंध में 'विस्तार' शब्द का उपयोग किया गया है।

10.2 सबसे पहले, ***प्रोवाश चंद्र दलुई एवं अन्य बनाम बिस्वनाथ बनर्जी व अन्य*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'नवीनीकरण' और 'विस्तार' की न्यायिक व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है कि उक्त अभिव्यक्तियों का किसी पक्षकार के अधिकारों के लिए अलग-अलग कानूनी परिणाम हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 'विस्तार' और 'नवीनीकरण' के बीच मुख्य अंतर यह है कि नवीनीकरण के मामले में, एक नया समझौता निष्पादित किया जाता है, जबकि विस्तार के

मामले में, विस्तारित अवधि के दौरान वही समझौता लागू रहता है। निर्णय के प्रासंगिक पैरा 13 और 14 इस प्रकार हैं:

> *"13. पट्टे के खंड 9 में यह देखा जाएगा कि किराया कैसे और कब देना है और कब पट्टा रद्द किया जा सकता है। खण्ड 11 में यह प्रावधान है कि प्रथम दृष्टया पट्टे की अवधि 10 वर्ष की गई थी और यदि पट्टेदार ने खण्ड 9 के अन्तर्गत उससे अपेक्षित के अनुसार कार्य किया तो पट्टे की अवधि को 31-3-1961 तक 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए 250 रुपए प्रतिमाह के बढ़े हुए किराये पर बढ़ाया जाएगा और यदि पट्टेदार ने 5 वर्ष की इस अवधि के दौरान खण्ड 9 के अन्तर्गत उससे अपेक्षित के अनुसार कार्य करना जारी रखा तो पट्टे की अवधि को 300 रुपए प्रतिमाह के किराये पर 31-3-1966 तक 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा और यदि पट्टेदार ने 20 वर्ष की अवधि के अंत तक खण्ड 9 के अन्तर्गत उससे अपेक्षित के अनुसार कार्य करना जारी रखा तो वह नोटिस देकर 500 रुपए प्रतिमाह के बढ़े हुए किराये पर एक वर्ष की अतिरिक्त अधिकतम अवधि के लिए विस्तार प्राप्त करने का हकदार होगा।*
>
> *14. यह ध्यान देने योग्य है कि प्रयुक्त शब्द "विस्तार" है न कि "नवीनीकरण"। **विस्तार का अर्थ है विस्तार करना, फैलाना, बढ़ाना, लम्बा करना, अपनी मूल सीमा से आगे ले जाना। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार विस्तार का अर्थ है मुख्य भाग का विस्तार करना, उससे छोटी किसी चीज़ को जोड़ना जिससे वह जुड़ी हुई है; बढ़ाना या लम्बा करना।** इस प्रकार, विस्तार का अर्थ है सामान्यतः विस्तारित की जाने वाली किसी चीज़ का निरंतर अस्तित्व। **"विस्तार" और "नवीनीकरण" के बीच मुख्य अंतर यह है कि नवीनीकरण के मामले में, एक नए पट्टे की आवश्यकता होती है, जबकि विस्तार के मामले में वही पट्टा***

*<u>निर्धारित कार्य के निष्पादन द्वारा अतिरिक्त अवधि के दौरान लागू रहता है।</u> दूसरे शब्दों में, "विस्तार" शब्द का उपयोग जब पट्टे के संबंध में अपने उचित और सामान्य अर्थ में किया जाता है, तो इसका अर्थ है पट्टे का विस्तार। पट्टे में इस शर्त का उपरोक्त तरीके से निर्माण तब भी सुसंगत होगा जब पट्टे को समग्र रूप से लिया जाता है। लीज के उद्देश्य केवल 10 वर्षों तक चलने की उम्मीद नहीं थी और जैसा कि श्री ए.के. सेन ने सही ढंग से बताया कि अनुसूची में विशेष रूप से "20 वर्षों की निर्धारित अवधि" के लिए लीज का उल्लेख किया गया था। चूंकि ये शब्द बहुत स्पष्ट हैं, इसलिए न्यायालय के पास इसके लिए कुछ करने हेतु बहुत कम सामग्री है।"*

(जोर दिया गया)

10.3 इस मामले के तथ्यों के अनुसार, पक्षकारगण के बीच दिनांक 04 दिसंबर, 2010 को निष्पादित लाइसेंस का मूल समझौता समय बीतने के कारण पहले ही समाप्त हो चुका है। 28 फरवरी, 2024 से आगे फूड प्लाजा का संचालन जारी रखने के लिए अपीलार्थी को अपने पक्षकार में लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा, जिसके लिए प्रत्यर्थी, आईआरसीटीसी से उसके पक्षकार में नए लाइसेंस डीड का निष्पादन आवश्यक है।

10.4 पैरा 16.1.4 में 'नवीनीकरण' शब्द का लोप, जो स्पष्ट रूप से फूड प्लाजा को नियंत्रित करता है, नीति में एक पूर्व नियोजित लोप है और यह प्रमाणित करता है कि खानपान नीति, 2010 में पैरा 16.1.4 में संदर्भित 'प्रमुख इकाइयों' (फूड प्लाजा होने के नाते) के लिए 'नवीनीकरण' का कोई अधिकार आरक्षित नहीं किया गया है। इसके विपरीत, पैरा 16.1.3, 16.2.1 और 16.2.2 में संदर्भित 'लघु इकाइयों' (जीएमयू/एसएमयू) के लिए 'नवीनीकरण' का अधिकार आरक्षित किया गया है। इसलिए, *प्रथम दृष्टया* हमारी राय हैं कि अपीलार्थी, एक 'प्रमुख इकाई'

(फूड प्लाजा) होने के नाते, खानपान नीति, 2010 के तहत 'नवीनीकरण' के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं है।

11. अपीलार्थी ने 04 जून, 2010 से 28 फरवरी, 2024 तक 'मेजर यूनिट' का संचालन किया है, जो अवधि वास्तव में 04 दिसंबर, 2010 के समझौते और खानपान नीति, 2010 के पैरा 16.1.4 में परिकल्पित बारह वर्षों की अधिकतम अवधि से अधिक है।

12. ***दक्षिण मध्य रेलवे (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विशेष रूप से सामान्य लघु इकाइयों ('जीएमयू') और विशेष लघु इकाइयों ('एसएमयू') के खानपान नीति, 2010 के पैरा 16 और 17 के अनुसार 'नवीनीकरण' मांगने के अधिकार से संबंधित था। यह न्यायालय के पैराग्राफ 22 से 24 के आदेश से स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है, जो निम्नानुसार है:

> *"**22.** अपीलार्थीगण का मामला, संक्षेप में, यह है कि रेलवे को खानपान नीति, 2010 को लागू करने का अधिकार था। उक्त नीति के अनुसार, केवल ऐसे लाइसेंसधारक जिन्हें 2010 की नीति के तहत लाइसेंस दिया गया था, वे अपने अनुबंधों को नवीनीकृत करवाने के हकदार थे और वही लाभ उन लाइसेंसधारकों को नहीं दिया जा सकता था जिन्हें 2010 की नीति से पहले लाइसेंस दिया गया था। **खानपान नीति, 2010 के अनुसार, लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर मौजूदा खानपान इकाइयों के नवीनीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।** नीति के पैरा 16 के तहत लाइसेंसधारकों के लाइसेंस का नवीनीकरण केवल उन लाइसेंसधारकों पर लागू होगा जिन्हें खानपान नीति, 2010 के तहत लाइसेंस आवंटित किए गए थे। अपीलार्थीगण ने आगे कहा है कि क्षेत्रीय रेलवे द्वारा 2013 तक लाइसेंस का*

*नवीनीकरण केवल बोली और आवंटन प्रक्रिया पूरी होने तक एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में संचालित करने के लिए था।*

*23. हम अपीलार्थीगण की ओर से पेश किए गए तर्क से सहमत नहीं हैं। रेलवे बोर्ड ने दिनांक 9-8-2010 को वाणिज्यिक परिपत्र सं. 37 जारी किया, जिसमें निम्नलिखित निर्देश शामिल थे:*

*"1. लाइसेंस इकाइयों का हस्तांतरण:*

*****

*(घ) क्षेत्रीय रेलवे को उन सभी समझौतों को विस्तार देकर नवीनीकृत करना चाहिए जो समाप्त हो चुके हैं या अगले 6 महीनों में समाप्त होने वाले हैं, जो कि खानपान नीति, 2010 के जारी होने की तारीख से अधिकतम छह महीने के विस्तार के अधीन है।*

***यह परिपत्र स्पष्ट करता है कि खानपान नीति, 2010 के पैरा 16 और 17 के अनुसार लघु इकाइयों के सभी मौजूदा लाइसेंसधारियों को लाइसेंस का नवीनीकरण दिया जाना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि मौजूदा लाइसेंसधारियों को निविदा प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।***

*24. दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक द्वारा जारी दिनांक 23-8-2011 के परिपत्र में दक्षिण मध्य रेलवे के सभी मंडल वाणिज्य प्रबंधकों और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को यह पुष्टि करने का निर्देश दिया गया है कि 'ए1', 'ए' और 'बी' श्रेणी के स्टेशनों पर सभी जीएमयू और एसएमयू का कार्यकाल उनके संतोषजनक प्रदर्शन और 2010 की नीति के अनुसार सभी देय राशि और बकाया राशि के भुगतान पर हर 3 साल के बाद*

*नवीनीकृत किया जाएगा। उक्त परिपत्र को देखते हुए, प्रत्यर्थी एसोसिएशन के सभी सदस्यों के खानपान लाइसेंस जुलाई 2013 तक नवीनीकृत किए गए थे। मामले के इस पहलू पर, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: (एस.सी.आर. कैटरर्स केस [एस.सी.आर. कैटरर्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट जूस स्टॉल्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम साउथ सेंट्रल रेलवे, 2013 एससीसी ऑनलाइन एपी 168: (2013) 5 एएलडी 553], एससीसी ऑनलाइन एपी)*

> *"... जबकि 2010 की नीति में मौजूदा लाइसेंसों को छह महीने से अधिक अवधि के लिए नवीनीकृत करने की परिकल्पना नहीं की गई है, वाणिज्यिक परिपत्र सं. 37/2010 दिनांक 9-8-2010 में जारी तत्काल परिचालन निर्देशों ने क्षेत्रीय रेलवे को 2010 की नीति जारी होने की तारीख से अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए लाइसेंसों को नवीनीकृत करने का निर्देश दिया है। यदि 2010 की नीति को केवल उक्त नीति के तहत जारी लाइसेंसों के संबंध में नवीनीकरण प्रदान करने के रूप में समझा जाता है, तो कोई कारण नहीं था कि प्रत्यर्थी 3 ने 2010 की नीति के लागू होने की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने पर निविदाएं क्यों नहीं आमंत्रित कीं। निविदाएं आमंत्रित करने के बजाय, प्रत्यर्थी 3 ने 2010 की नीति के पैरा 16.1.3 और 16.2.1 के अनुसार सभी **जीएमयू** और **एसएमयू** लाइसेंसों को तीन साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया है। यह कार्य उक्त नीति के पैरा 16.3 में संशोधन से पहले ही किया गया था। पैरा 16.3 में संशोधन से पहले ही 2010 की नीति को उसकी वास्तविक भावना में समझने के बाद, यह समझ से परे है कि प्रत्यर्थी 3 उक्त*

*<u>नीति को एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहा है, तथा इसकी ऐसी व्याख्या करने का प्रयास कर रहा है जो इसकी स्पष्ट भाषा के विपरीत है।</u> 2010 की नीति में कहीं भी लाइसेंसधारियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, अर्थात्, जिन्हें 2010 की नीति के लागू होने से पहले लाइसेंस दिए गए थे तथा जिन्हें उक्त नीति के बाद लाइसेंस दिए गए थे। इसके विपरीत, सभी **जीएमयू** तथा **एसएमयू** को एक ही श्रेणी में रखा गया है। चाहे लाइसेंस रेलवे द्वारा 2005 से पहले दिए गए हों या आईआरसीटीसी द्वारा 2005 से और भारतीय रेलवे द्वारा 2010 के बाद, इन सभी श्रेणियों के लाइसेंसधारियों के लिए लाइसेंसों का नवीनीकरण तीन आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन परिकल्पित है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है" (जोर दिया गया)*

***<u>विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को खंड न्यायपीठ ने बरकरार रखा है और हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला है।</u>***

*(जोर दिया गया)*

13. इसलिए, खानपान नीति, 2010 के पैरा 16.1.4, जो यहां अपीलार्थी (फूड प्लाजा) पर लागू है, पर सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में विचार-विमर्श नहीं किया।

14. इसके अलावा, जैसा कि अपीलार्थी ने स्वयं बताया है, सर्वोच्च न्यायालय ने वि.अनु.या. (सि.) सं. 28257/2019 में 10 जनवरी, 2020 के आदेश के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित 30 जुलाई, 2019 के निर्णय के संचालन पर रोक लगा दी है, जिसमें ***दक्षिण मध्य रेलवे (पूर्वोक्त)*** को 'प्रमुख इकाइयों' के लाइसेंसधारियों द्वारा किए गए 'नवीनीकरण' के दावे पर लागू किया गया था।

15. इसलिए, हमें स्थगन के लिए अंतरिम आवेदन को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली। तदनुसार अपील को लंबित आवेदनों के साथ खारिज किया जाता है।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने प्रत्यर्थी, आईआरसीटीसी के इस कथन पर कोई राय नहीं दी है कि खानपान नीति, 2010 और खानपान नीति, 2017 आईआरसीटीसी द्वारा लाइसेंस प्राप्त इकाइयों पर लागू नहीं है, क्योंकि उक्त मुद्दे पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था। उक्त मुद्दे को रिट कार्यवाही में निर्धारण हेतु अनिर्णीत छोड़ दिया गया है, जो विचाराधीन है।

**कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश**

**न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा**

**5 मार्च, 2024/**एचपी/एसके

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्झेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी/*